

22.4.19 पत्रावली फंदा दुई आँ उपरिचल न ही । वकीलवादी
ने दिनांक 15.4.19 को प्रमाण को Not Press किया है
अतः वकील वादी द्वारा Not Press किए जाने के आधार पर
प्रकरण उच्च स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली
जिसल सुभाह होकरा नाका से कद कीजावे

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज)